राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2200/2014/जयपुर
अपील संख्या 2201/2014/जयपुर

मैसर्स मीणा स्टूडियो ऑडियो एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स,
जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

1. उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, जयपुर
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   वृत्त–ई, घट–प्रथम, जयपुर।

.....प्रत्यर्थीगण.

एकलपीठ
कैम्प जयपुर
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रमेश चन्द्र गुप्ता,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :11.09.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यें अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 10.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत्त–ई, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 30/37 के अन्तर्गत पारित आदेशों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है। निम्न तालिका अनुसार मांग कायम की गई है :–

अपील संख्या	वर्ष	क.नि. दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति	योग
543/13–14	2008–09	20.12.2010	125000	37500	25000	165000
544/13–14	2009–10	13.02.2012	168000	50400	25000	243400

2. उक्त अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर अलग–अलग रखी जावें।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधि में वैट 10ए/11 व तिमाही रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने के कारण व्यवसायी को नोटिस जारी किये गये जिसकी पालना में

लगातार.....2

व्यवसायी न तो उपस्थित हुआ और ना ही कोई दस्तावेज पेश किये। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने एक तरफा कर निर्धारण आदेश राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 55, 58 एवं 64 के तहत उपरोक्त तालिकानुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया उक्त पारित निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यें अपीलें प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी को निर्धारित प्रपत्र में बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये कल्पना एवं अनुमान के आधार पर एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित किये गये है, जो अधिनियम के नियमों के विपरीत तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अतः आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह सुस्पष्ट किया गया है कि उनके समक्ष उक्त अपील उपायुक्त (प्रशासन) के निर्णय दिनांक 04.07.2012 (धारा 34 के अन्तर्गत) के पश्चात पेश की गई थी, वे नियत विधिक प्रकिया के अनुसार न होकर इस स्तर पर न होकर माननीय राजस्थान कर बोर्ड स्तर पर होनी थी। अतः वैकल्पिक विधिक उपचार उपलब्ध होने की स्थिति में इस स्तर पर विचाराधीन अपीलें खारिज की जाती है। साथ ही असंगत समझते हुए मूलतः कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण हेतु अंतिम तारीख पेशी दिनांक 13.10.2010, 07.12.2011 उपस्थित न होने के कारण स्वरूप पेश मेडिकल सर्टिफिकेट्स (एवं पंजीयन प्रमाण पत्र) पर भी गुणावगुण दृष्टि से कोई विचार/विवेचन नहीं किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश उचित होने से प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलों को इस आधार पर खारिज किया गया था कि उक्त अपीलें एकतरफा कर

लगातार.....3

निर्धारण आदेशों के खिलाफ उपायुक्त (प्रशासन) के समक्ष धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। उपायुक्त (प्रशासन) के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी को अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये थी एवं चूंकि वैकल्पिक विधिक उपचार अपीलार्थी व्यवहारी को उपलब्ध था जिसका उसके द्वारा उपयोग नही किया गया।

व्यवहारी अपीलार्थी द्वारा निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पेशियों पर अनुपस्थिति का कारण बीमारी अवगत करवाया गया एवं इसके समर्थन में मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किये गये। परन्तु इन पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील पोषणनीय नहीं होने के कारण वैकल्पिक विधिक उपचार उपलब्ध होने के आधार पर विचार ही नहीं किया गया। इस संबंध में अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। दोनों धाराओं में पारित ओदशों के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की जा सकती है। यदि धारा 34 में उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है एवं समानान्तर अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत की गई है तो अपीलीय अधिकारी को उस पर निर्णय दिया जाना चाहिये था अर्थात धारा 82 अपीलीय अधिकारी को उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा निर्णय दिये जाने पर उनकी शक्तियों से अपवर्जित नहीं करती है। धारा 82(1) में निम्नप्रकार अंकन किया गया है :–

82(1) Appeal to the appellate authority :- (1) Subject to the provisions of section 86, an appeal against any order of an Assistant Commissioner, a Commercial Taxes Officer, an Assistant Commercial Taxes Officer or Junior Commercial Taxes Officer or Incharge of a check-post or barrier shall lie to the appellate authority .

उक्त धारा 82(1) का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। धारा 82(7) जिसका अंकन निम्नप्रकार से है :–

82(7) The appellate authority may, before disposing of any appeal make such further enquiry as it thinks fit, or may direct the assessing authority or the officer against whose order appeal has been preferred to make further enquiry and report the result of the same to the appellate authority and in disposing of the appeal the said authority may, -

(a) In the case of and order of assessment, interest or penalty,-

(i) confirm, enhance, reduce or annul the assessment, interest or penalty or

(ii) set aside the order of assessment, interest or penalty and direct the assessment authority to pass fresh order after such further enquiry as may be directed; and

(b) in the case of any other order, confirm, cancel, vary or remand such order.

लगातार.....4

उक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी को धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपायुक्त (प्रशासन) के निर्णय किसी प्रकार उनकों प्रतिबंधित नहीं करते है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिक प्रतीत नहीं होता है अतः अपीलीय अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को उचित सुनवाई का अवसर देकर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण हेतु दी गई पेशी पर अनुपस्थिति का युक्तियुक्त कारण, (जैसा की विद्वान अधिवक्ता ने मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर स्पष्ट किया है) का अवलोकन करते हुए गुणावगुण पर अपीलों का निस्तारण करे। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

11.9.2015

(मदन लाल)
सदस्य